न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 206/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार रियांबडी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबडी		आईदान पुत्र गिरधारी कौम रेगर निवासी रियांबड़ी के कायम मुकामान– 1–प्रेमचन्द पुत्र आईदानराम 2–मदनलाल पुत्र आईदानराम (फौत) के कायममुकाकान 2/1– जगदीश पुत्र मदनलाल 2/2–हरिशचन्द पुत्र मदनलाल 2/3–पुजा देवी पुत्री मदनलाल 2/4–मुन्नी देवी पत्नी मदनलाल समस्त जातियान रेगर निवासीगण रूम नम्बर 41, चाल नम्बर–6, ठक्कर बाबा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड, चैम्बूर, बम्बई–71

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय **दिनांक :** 29-08-2019

प्रार्थी तहसीलदार रियांबडी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी आईदान के फौत हो जाने पर उसके वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाकर उनकी तलबी जारी की गई परन्तु अप्रार्थी आईदान के वारिसान के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध दिनांक 08.07.2019 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा की एकतरफा बहस सुनी। राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 1142 मीन रकबा 15 बीघा/हैक्टयर भूमि अप्रार्थी गिरधारी पुत्र भोला जाति रेगर निवासी रियांबड़ी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत आवंटन की जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई। अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2035–2071 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पड़त के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, जो पटवारी हल्का रियांबड़ीं की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त फरमानें का निवेदन किया।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 1142 मीन रकबा 15 बीघा भूमि (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा) का गिरधारी पुत्र भोला जाति रेगर निवासी रियांबड़ी को आवंटन करना बताया गया है। गिरधारी के फौत हो जाने पर अप्रार्थी आईदान के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 991 सरपंच ग्राम पंचायत रियांबड़ी द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो उक्त नामान्तरकरण की प्रति से साबित है। पटवारी रियांबड़ी व भू अभिलेख निरीक्षक की रूबरू मौतबिरान मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2015 के अनुसार अप्रार्थी आईदान गैर खातेदार का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा गिरदावरी संवत् 2035 से 2071 से भी अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं होने की पुष्टि होती है। आवंटित भू खण्ड पर कब्जा काश्त नहीं करके आवंटन आदेश की शर्तों की खिलाफवर्जी की जाना प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में ग्राम रियांबड़ी की जमाबन्दी संवत 2034 से 2036 में खसरा नम्बर 1142 मीन की किस्म गै.मु. नदी दर्ज है, जो कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 (4) के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां इन नियमों के अधीन आवंटन योग्य नहीं है। किस्म गै.मु. नदी की भूमि उक्त धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। इस प्रकार समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 1142 मीन रकबा 15 बीघा भूमि का अप्रार्थी गिरधारी पुत्र भोला जाति रेगर निवासी रियांबड़ी आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर भूमि सरकारी तहवील में लेने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner